कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अंतराज्जीय स्तर पर संगठित गिरोह (Bird Trade) का 9वाँ आरोपी महिला तस्कर गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**45/26,** दिनांक **21.07.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्य प्रदेश की इंदौर इकाई को वन्यजीवों की अवैध तस्करी के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। टीम ने विगत 3 वर्षों से निरंतर फरार चल रही प्रकरण की 9वीं मुख्य आरोपी सविताबेन (पति: विनोद दंतानी, निवासी: अहमदाबाद, गुजरात) को 20 जुलाई 2026 को इंदौर से गिरफ्तार किया।

मई 2023 में इंदौर एसटीएसएफ द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार और तस्करी में लिप्त एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-II के तहत संरक्षित 35 नग 'पलम-हेडेड पैराकीट' (Plum-headed Parakeet) और 16 नग 'रोज-रिंग्ड पैराकीट' (Rose-ringed Parakeet) जब्त किए गए थे। इस प्रकरण में 20 मई 2023 को वन अपराध क्रमांक 237/06 दिनांक 20.05.2023 दर्ज कर पूर्व में 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था।

फरार चल रहे शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसटीएसएफ लगातार सक्रिय थी। 20 जुलाई 2026 को मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सविताबेन को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उनका गिरोह मध्य प्रदेश से संरक्षित प्रजाति के पक्षियों (तोतों) का अवैध परिवहन कर उन्हें गुजरात के विभिन्न शहरों में ऊंचे दामों पर बेचता था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा आरोपी को विशेष न्यायालय, इंदौर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेजा गया । प्रकरण विवेचनाधीन है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल